झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 24 / 2015 .... राँची, दिनांक–............................

प्रेषक:

ई॰ मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन पलामू जिला के पांडु प्रखंड अंतर्गत झांझी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू0 1810.95 (रूपये अठारह करोड़ दस लाख पन्चान्वे हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन पलामू जिला के पांडु प्रखंड अंतर्गत झांझी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू0 1810.95 (रूपये अठारह करोड दस लाख पन्चान्वे हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना की कुल लागत राशि रू॰ 1810.95 लाख (रूपये अठारह करोड़ दस लाख पन्चान्वे हजार) है। उक्त योजना के पूर्ण होने के उपरांत लगभग 600 हे॰ खरीफ एवं लगभग 200 हे॰ रब्बी लगभग कुल 800 हे॰ सिंचन क्षमता के सृजित होने का अनुमान है। योजना का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 2.26 लाख प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजना का B.C.Ratio @ 10% Interest 1.53 आकलित है। योजना के कार्यान्वयन में 105 एकड़ वनभूमि पड़ता है जिसका अपयोजन किया जाना है।

4. इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रस्तावित है–

(i) निर्माण कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जॉच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जॉच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(iii) इस योजना के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु हेडरेगुलेटर का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(iv) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(v) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(vi) इस योजना पर विगत पॉच वर्षो में किसी भी मद से कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(vii) योजना का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(viii) भू–अर्जन तथा वनभूमि अपयोजन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर जमीन जल संसाधन विभाग के दखल कब्जे में आने के पश्चात् ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।

(ix) उपरोक्त कंडिका '4' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) & (viii) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

5. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्नरूप से भारित होगा– बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उप शीर्ष–19– लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण अंतर्गत किया जाएगा।

6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

7. प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8. इन योजनाओं को वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ कर वर्ष 2016–17 में पूर्ण किया जाएगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

12. प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

13. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (योजना) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी0एम0सी0/कार्य/24/2015 .... **राँची, दिनांक–**..........................

प्रतिलिपिः– योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी0एम0सी0/कार्य/24/2015 .... **राँची, दिनांक–**..........................

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / कार्य / 24 / 2015 .... राँची, दिनांक–.............................
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/–
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / कार्य / 24 / 2015 .... राँची, दिनांक–.............................
प्रतिलिपिः आयुक्त पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/–
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / कार्य / 24 / 2015 .... राँची, दिनांक–.............................
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/–
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / कार्य / 24 / 2015 77/15-16 प्र. ले. राँची, दिनांक–29.03.2016
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त्।

(हस्ताक्षर) 29/3/16
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)
(हस्ताक्षर) 29/03/16